

राजस्थान वित्त निगम
मुख्यालय उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

आर. ओ. प्लांट के रख रखाव के ठेके हेतु निविदा प्रारूप

संदर्भ: आपकी निविदा दिनांक

- निगम के उद्योग भवन स्थित मुख्यालय (समस्त पुराना एवं नया भवन) के आर. ओ. प्लांट कार्य के रख रखाव हेतु दिनांक 19.02.2022 से 18.02.2024 तक (दो वर्ष हेतु) की अवधि हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है।
- निविदा प्रस्तुत करने वाले फर्म/व्यक्ति/ठेकेदार का नाम तथा डाक का पूर्ण पता:-
.....
.....
.....
- निविदा शुल्क की राशि रु.200/- नकद रसीद संख्या दिनांक के द्वारा जमा करादी गई है।
- निविदा सूचना, जो कि दिनांक द्वारा जारी की गई है, में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए मैं/ फर्म/व्यक्ति/ठेकेदार सहमत हूँ तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तों को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के लिए मैं/ फर्म/व्यक्ति/ठेकेदार पूर्ण रूप से सहमत हूँ। मेरे/हमारे द्वारा किये जाने वाले कार्य हेतु दरें वार्षिक कम्प्रेहेंसिव आधार पर निम्न प्रकार हैं:-

निगम की छत पर लगे हुये आर.ओ.सिस्टम की लेबर, मेन्टिनेंस सामान सहित की दर वार्षिक कम्प्रेहेंसिव आधार पर	रु..... (अक्षरे रूपये मात्र प्रतिमाह)
---	---

- आदेश प्राप्त होने की तिथि के पश्चात् 19.02.2022 से हमारी फर्म द्वारा कार्य करना प्रारंभ कर दिया जावेगा। उक्त वर्णित दरें दिनांक 18.02.2024 (दो वर्ष) तक वैध रहेगी।
- धरोहर राशि टेण्डर मूल्य की 2 प्रतिशत राशि नकद/डिमांड ड्राफ्ट/रसीद संख्या..... दिनांक संलग्न है।
- आर. ओ. प्लांट कार्य के कार्यानुभव से संबंधित दस्तावेज/सर्टिफिकेट संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय रबर मोहर
दिनांक.....

संलग्न: निविदा की शर्तें



राजस्थान वित्त निगम

मुख्यालय उधोग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

निगम मुख्यालय की छत पर स्थापित आर.ओ. सिस्टम की संविदा की शर्तें

- कार्य की अवधि दिनांक 19.02.2022 से 18.02.2024 तक (दो वर्ष की अवधि हेतु) होगी एवं जब भी आपकी निविदा का समय समाप्त होगा तो आपको उस समय नये निविदादाता को आर ओ सिस्टम सूचारू रूप से चलती अवस्था में सम्मिलवाना होगा।
- ए.एम.पी. कॉम्प्लेन्सिब आधार पर दी जायेगी इसमें किसी भी प्रकार का सामान मेमरेन, मोटर इत्यादि की खराबी एवं अन्य सभी खराबियां आपको अपने खर्च पर ठीक करनी होगी।
- आर ओ सिस्टम में खराबी होने पर सूचना दिये जाने के बाद तुरन्त प्रभाव से एक दिवस (24 घंटे) के भीतर आर ओ प्लॉट को ठीक करके चालू करना होगा अन्यथा निगम अपने खर्चे पर ठीक करवा लेगा एवं उस पर खर्चे हुई राशि आपको देय राशि में से काट ली जायेगी तथा प्रतिदिन 200/-रु. की कटौती बिल में से कर ली जाएगी।
- उपरोक्त दरें प्रस्तुत करते समय कुल टेण्डर राशि की 2 प्रतिशत राशि नकद निगम के खाते में धरोहर राशि के रूप में जमा कराना होगा एवं कार्यदेश प्राप्ति के बाद कुल कार्यदेश की राशि का 5 प्रतिशत निगम के खाते में जमानत राशि के रूप में जमा कराना होगा तथा जमानत राशि कार्य के संतोषप्रद कार्यावधि समाप्त होने पर निगम द्वारा लौटा दी जायेगी।
- उपरोक्त प्लॉट का आपकी फर्म के कर्मचारियों द्वारा प्रतिमाह निरीक्षण किया जावेगा जिसकी रिपोर्ट सामान्य प्रशासन अनुभाग को देनी होगी।
- वार्षिक रख रखाव की राशि का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान निगम द्वारा आपको 6 माह पश्चात् संतोषप्रद कार्य होने पर किया जायेगा एवं शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान आपके ठेका अवधि संतोषप्रद समाप्ति के बाद कर दिया जायेगा।
- शर्तों एवं नियमों को भंग करने पर या ठेके का कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर अनुबंध बिना किसी सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा एवं धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
- अनुबंध दो वर्ष के लिए मान्य होगा तथा निगम को यह अधिकार होगा कि वह इसे घटा बढ़ा सकता है।
- फर्म द्वारा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में एक कोने पर अपने हस्ताक्षर करने चाहियें।
- निगम द्वारा स्वीकृत फर्म को कार्य आदेश के सात दिवस में एक करार निष्पादित करना होगा, जो कि रु. 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होगा।
- दोनों पक्षों में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर निगम के प्रबन्ध निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- चयनित फर्म या उसके किसी भाग को ना तो किसी अन्य एजेन्सी को देगा और ना ही किसी को आगे स्थानान्तरित करेगा।
- कार्य के दौरान अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- निगम को बिना किसी कारण बताएं उक्त निविदा को अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार होगा।
- सभी शर्तें आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के अधीन लागू होंगी।
- उपरोक्त सभी शर्तें मेरे द्वारा पढ़ ली गई है तथा मुझे स्वीकार है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय रबर मोहर
दिनांक: